



Neutral Citation No - 2026:AHC:16228

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 759/2026

मोहम्मद शाकिर एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : शैलजा कान्त त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलजा कान्त त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह है कि वे वर्तमान में मथुरा स्थित पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके मानदेय/वेतन को परिपत्र शासकीय आदेश दिनांक 22.12.2016 और पत्र दिनांक 07.10.2024 के अनुसरण में पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें वेतन वृद्धि(इंक्रिमेंट) 01.01.2018 के बजाय 01.07.2017 से प्रभावी मानी जाएगी।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रतिवादियों के दावे पर विचार करने के निर्देश के लिए है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे को पांचवें प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मथुरा द्वारा पहली बार में निर्णय देने की आवश्यकता है।



5. इस तरह की प्रस्तुति पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करते हैं।

6. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जा रहा है, जिससे रिट याचिकाकर्ताओं को पांचवें प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता दी जा रही है, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी प्राप्ति पर होगा, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर सख्ती से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। यदि पांचवें प्रतिवादी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाना है तो कागजात उसी को प्रेषित किए जाएंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मुकदमे के गुण-दोष में चला गया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)